01/2016/

संख्या– ...../CA /1788/सात–न्याय–2–2015–173जी/2015टीसी

प्रेषक,

अब्दुल शाहिद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद ।

न्याय अनुभाग--2 (अधीनस्थ न्यायालय) लखनऊःदिनांकः30 दिसम्बर, 2015

विषयः–14 वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के कम में प्रदेश में 212 फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना/पदों का सृजन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–16428/सेन- बी/एस0ओ0सी0/एडमिन(ए–3), दिनांक 01 दिसम्बर, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय, 14 वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुकम में संलग्नक–2 में उल्लिखित प्रदेश के 71 जनपदों में 212 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किये जाने तथा उक्त न्यायालयों हेतु संलग्नक–1 में उल्लिखित 1896 पदों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दिनांक 29 फरवरी, 2016 तक के लिए, यदि बिना किसी पूर्व सूचना के इससे पहले ही समाप्त न कर दिये जायें, सृजित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त पदों की निरन्तरता नियमानुसार समय–समय पर बढ़ाई जाएगी , जो दिनांक 31 मार्च,2020 तक ही निर्गत की जाएगी।

2-- उक्त न्यायालयों द्वारा 14 वें वित्त आयोग की संस्तुति संख्या–1.2 में उल्लिखित वादों गम्भीर अपराधों से संबंधित वाद जैसे– हत्या , बलात्कार , डकैती , अपहरण , मानव तस्करी, दहेज हत्या आदि से संबंधित , वरिष्ठ नागरिकों , महिलाओं , बच्चों , विकलांगों , एच0आई0वी0 एड्स एवं अन्त्य रोगी आदि के सिविल वादों एवं 05 वर्ष से अधिक समय से लम्बित भूमि अधिग्रहण एवं सम्पत्ति/किरायेदारी विवाद से संबंधित सिविल वादों की सुनवाई की जाएगी।

3– इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–42 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2014–न्याय प्रशासन– आयोजनेत्तर–105–सिविल तथा सेशन्स न्यायालय–14–चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों का कियान्वयन–1402–फास्ट ट्रैक कोर्ट " के अधीन विभिन्न सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

4– ये आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई–12–1650/दस–2015, दिनांक 29 दिसम्बर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें।

भवदीय,

(अब्दुल शाहिद)
प्रमुख सचिव

संख्या–01/2016/1788(1)/सात–न्याय–2–2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– सचिव, भारत सरकार, विधि, न्याय मन्त्रालय (न्याय विभाग), नई दिल्ली ।
2– संयुक्त निबन्धक(न्यायिक)(सेवाएं) मा0 उच्च न्यायालय,इलाहाबाद
3– संबंधित जिलाधिकारी।
4– संबंधित जिला जज।
5– संबंधित कोषाधिकारी।
6– महालेखाकार (प्रथम/द्वितीय) लेखा, उ0प्र0, इलाहाबाद।
7– निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी।
8– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
9– प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
10– वित्त (ई–12) अनुभाग।
11 वित्त (वेतन–आयोग) अनुभग–1/2
12– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/2
13– नियुक्ति अनुभाग–4
14– न्याय अनुभाग–9 (बजट)
15– पुस्तकालयाध्यक्ष, न्याय एवं विधि परामर्शी, उ0प्र0 शासन।
16– न्याय विभाग की वेबसाइट पर तत्काल अपलोड करने हेतु।
17– गार्ड बुक/संबंधित समीक्षा अधिकार

आज्ञा से,

(मुशीर अहमद अब्बासी)
विशेष सचिव

संलग्नक—1

शासनादेश संख्या —61 / 2016 / 1788 / सात — न्याय — 2 —2015—173जी / 2015टीसी,
दिनांक 30 दिसम्बर, 2015

क्र0 सं0	पदनाम	पदों की संख्या—	देय वेतनमान / पारिश्रमिक प्रतिमाह (प्रति पीठासीन अधिकारी / प्रति कार्मिक)
1—	पीठासीन अधिकारी	212	वेतनमान रू0 51550—63070 / —
2—	वैयक्तिक सहायक	212	अधिकतम सीमा रू0 28800 / — (सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से आउटसोर्सिंग द्वारा अथवा सेवानिवृत्त कार्मिकों से भरा जायेगा)
3—	रीडर	212	अधिकतम सीमा रू0 24200 / — (सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से आउटसोर्सिंग द्वारा अथवा सेवानिवृत्त कार्मिकों से भरा जायेगा)
4—	मुंसरिम	212	अधिकतम सीमा रू0 24200 / — (सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से आउटसोर्सिंग द्वारा अथवा सेवानिवृत्त कार्मिकों से भरा जायेगा)
5—	सूट क्लर्क	212	अधिकतम सीमा रू0 21150 / — (सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से आउटसोर्सिंग द्वारा अथवा सेवानिवृत्त कार्मिकों से भरा जायेगा)
6—	मिसलेनियस क्लर्क	212	अधिकतम सीमा रू0 21150 / — (सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से आउटसोर्सिंग द्वारा अथवा सेवानिवृत्त कार्मिकों से भरा जायेगा)
7—	अर्दली	212	अधिकतम सीमा रू0 15000 / — (सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से आउटसोर्सिंग द्वारा अथवा सेवानिवृत्त कार्मिकों से भरा जायेगा)
8—	चपरासी	212	अधिकतम सीमा रू0 15000 / — (सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से आउटसोर्सिंग द्वारा अथवा सेवानिवृत्त कार्मिकों से भरा जायेगा)

कुल योग = 1696 (सोलह सौ छानबे) पद

(सुशील अहमद अब्बासी)
विशेष सचिव।

संलग्नक—2

शासनादेश संख्या—01/2016/1788/सात—न्याय—2—2015—173जी/2015टीसी,
दिनांक 30 दिसम्बर, 2015

सृजित किए जाने वाले अतिरिक्त न्यायालयों की सूची

क्रमांक	जनपद का नाम	न्यायालयों की संख्या
1	2	3
1—	आगरा	02
2—	अलीगढ़	04
3—	इलाहाबाद	06
4—	अम्बेडकरनगर स्थान अकबरपुर	02
5—	औरैया	02
6—	आजमगढ़	04
7—	बागपत	03
8—	बहराईच	02
9—	बलिया	03
10—	बलरामपुर	01
11—	बांदा	01
12—	बाराबंकी	04
13—	बरेली	04
14—	बस्ती	02
15—	भदोही स्थान ज्ञानपुर	01
16—	बिजनौर	03
17—	बदायूं	05
18—	बुलन्दशहर	05
19—	चित्रकूट	02
20—	चन्दौली	01
21—	देवरिया	02
22—	एटा	05
23—	इटावा	01
24—	फैजाबाद	05
25—	फर्रुखाबाद	04
26—	फतेहपुर	03

27—	फिरोजाबाद	05
28—	गौतमबुद्धनगर	05
29—	गाजियाबाद	03
30—	गाजीपुर	03
31—	गोण्डा	03
32—	गोरखपुर	02
33—	हमीरपुर	01
34—	हापुड़	01
35—	हरदोई	03
36—	हाथरस	02
37—	जालौन स्थान उरई	03
38—	जौनपुर	04
39—	झांसी	01
40—	जे0पी0 नगर–अमरोहा	02
41—	कन्नौज	03
42—	कानपुर देहात	02
43—	कानपुर नगर	05
44—	कासगंज(के0आर0एन0)	01
45—	खीरी	06
46—	कौशाम्बी	02
47—	कुशीनगर स्थान पडरौना	04
48—	ललितपुर	01
49—	लखनऊ	05
50—	महोबा	01
51—	महराजगंज	02
52—	मैनपुरी	03
53—	मथुरा	05
54—	मऊ	03
55—	मेरठ	05
56—	मिर्जापुर	02
57—	मुरादाबाद	03
58—	मुजफ्फरनगर कैराना	04 02
59—	पीलीभीत	01
60—	प्रतापगढ़	05
61—	रायबरेली	02
62—	रामपुर	03
63—	सहारनपुर	02

64—	शाहजहांपुर	05
65—	श्रावस्ती–भिनगा	01
66—	सिद्धार्थनगर	02
67—	सीतापुर	05
68—	सोनभद्र	01
69—	सुल्तानपुर	05
70—	उन्नाव	03
71—	वाराणसी	03
		212

(मुशीर अहमद अब्बासी)
विशेष सचिव।